

DFA

१३

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की योजनाओं में फ्लैट्स, निर्मित/अद्विनिर्मित भवन एवं भूखण्ड प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर

पंजीकरण दिनांक 05-02-2015 से 04-03-2015 तक

सम्पत्ति का विवरण

श्रेणी	फ्लैट्स/ भवन/ भूखण्डों की संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमीटर्स)	अनुमानित मूल्य (लाख रुपये में)	किश्तों में भुगतान का विकल्प देने वाले आवेदकों हेतु पंजीकरण धनराशि		नकद भुगतान का विकल्प देने वाले आवेदकों हेतु पंजीकरण धनराशि	
				पंजीकरण धनराशि 10% (लाख रुपये में)	*आरक्षित वर्ष के आवेदकों के लिये पंजीकरण धनराशि 5% (लाख रुपये में)	पंजीकरण धनराशि 25% (रुपये में)	*आरक्षित वर्ष के आवेदकों के लिये पंजीकरण धनराशि 12.5% (लाख रुपये में)

शताब्दीनगर, सेक्टर 10 में स्थित एयरपोर्ट एन्कलेव स्व.वित्त पोषित योजना, (जी+3फ्लैट)

2बैडरूप+ स्टडी रूप	47	99.40	23.00	2.30	1.15	5.75	2.88
टाईप ए 2 बैडरूप फ्लैट	156	81.15	20.00	2.00	1.00	5.00	2.50
टाईप बी 2 बैडरूप फ्लैट	84	86.10	21.00	2.10	1.05	5.25	2.63

रक्षापुरम फेस-1, सेक्टर 3 में स्थित रक्षाग्रीन स्व.वित्त पोषित योजना में 4 माजिला फ्लैट

मध्यम आय वर्ग	78	71.88	25.90	2.59	1.30	6.48	3.24
---------------	----	-------	-------	------	------	------	------

गंगानगर योजना (4 माजिला फ्लैट्स)

अल्प आय वर्ग फ्लैट पॉकेट जे	42	39.75	9.78	0.98	0.49	आवंटन पश्चात् 10 प्रतिशत एक माह में तथा शेष धनराशि 14 प्रतिशत व्याज के साथ 10 वर्ष की 20 समान छमाई किश्तों में जमा करना होगा। विलम्ब अवधि हेतु दण्ड व्याज 18 प्रतिशत।
दुर्बल आय वर्ग फ्लैट पॉकेट जे	09	28.00	5.35	0.54	0.27	आवंटन पश्चात् 10 प्रतिशत एक माह में तथा शेष धनराशि 12 प्रतिशत व्याज के साथ 15 वर्ष की 180 समान मासिक किश्तों में जमा करना होगा। विलम्ब अवधि हेतु दण्ड व्याज 16 प्रतिशत।

डा० राम मनोहर लोहियानगर योजना निर्मित/अद्वनिर्मित "जहाँ है, जैसा है" आधार पर भवन

दुर्बल आय वर्ग भवन पॉकेट	33	36.45	3.514	0.352	0.18	आवंटन पश्चात् 10 प्रतिशत एक माह में तथा शेष धनराशि 12 प्रतिशत व्याज के साथ 15 वर्ष की 180 समान मासिक किश्तों में जमा करना होगा। विलम्ब अवधि हेतु दण्ड व्याज 16 प्रतिशत।
दुर्बल आय वर्ग पॉकेट एम व पॉकेट के	200	36	3.78	0.38	0.19	आवंटन पश्चात् 10 प्रतिशत एक माह में तथा शेष धनराशि 12 प्रतिशत व्याज के साथ 4 वर्ष की 8 समान छमाई किश्तों में जमा करना होगा। विलम्ब अवधि हेतु दण्ड व्याज 16 प्रतिशत।

दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवन/भूखण्ड के आवंटन हेतु इक्षुक आवेदकों (जिनके नाम से आवेदन किया जा रहा है) के परिवार की वार्षिक आय सीमा 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) तथा अल्प आय वर्ग श्रेणी के भवन/भूखण्ड के आवंटन हेतु (जिनके नाम से आवेदन किया जा रहा है) के परिवार की वार्षिक आय सीमा 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) से अधिक तथा अधिकतम 2,00,000/- (दो लाख) तक होनी चाहिये, का सक्षम अधिकारी (तहसील) द्वारा जारी आय का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा जिन आवेदकों द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जायेगा उनका पंजीकरण आवेदन पत्र लाटरी द्वारा मैं समिलित नहीं किया जायेगा।

- *आरक्षित वर्ष (अनु०जाति, अनु०जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा विकलांग श्रेणी) के किश्तों आवेदकों को कीमत का 5% पंजीकरण धनराशि तथा नगद भुगतान के आवेदकों को

कीमत का 12.5% पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में देय हो, आरक्षण के प्रमाण पत्र सहित जमा करनी होगी तथा शेष किश्तों वाले आवेदकों को कीमत का 10 प्रतिशत धनराशि तथा नकद भुगतान के शेष आवेदकों को कीमत का 25 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी तथा एक मुश्त भुगतान का विकल्प देवे वाले आवेदकों को पलैटस की अवशेष सम्पूर्ण धनराशि (पंजीकरण के समायोजन उपरान्त) आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर जमा करनी होगी तथा किश्तों का विकल्प देने वाले आवेदकों को आवंटन पत्र निर्गत दिनांक से 1 माह की अवधि के अन्दर कीमत का 10 प्रतिशत आवंटन धनराशि तथा शेष धनराशि रवः वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 2 वर्ष की बिना व्याज की 8तिमाही समान किश्तों में जमा करनी होगी। विलम्ब अवधि के लिये 20 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि व्याज देय होगा।

- ० तालिका में उल्लिखित सम्पत्तियों की संख्या, क्षेत्रफल व कीमत अनुमानित है जो घट/बढ़ सकती है।
- ० आरक्षण— आवेदक, जिस आरक्षण श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करेगा, उसके प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- ० समस्त श्रेणी के रिक्त पलैटस में नकद भुगतान पर पंजीकरण कराने वाले आवेदकों को लाटरी ड्रा में प्राथमिकता दी जायेगी। सम्पत्ति का आवंटन लाटरी पद्धति से आरक्षण के आधार पर किया जायेगा।
- ० एच०डी०एफ०सी० बैंक से ऋण की सुविधा।

1. विस्तृत नियम एवम् शर्तों की विवरण पुस्तिका आवेदन पत्र सहित दिनांक 05-02-2015 से 04-03-2015 तक निर्धारित भुगतान पर एच०डी०एफ०सी० बैंक की निम्नलिखित शाखाओं में प्राप्त की जा सकती हैं एवं आवेदन पत्र पूर्ण करके इन्हीं बैंकों में उक्त तिथि तक जमा की जा सकती हैं।

एच०डी०एफ०सी० बैंक:- (1) 171/1, सूर्योदय प्लाजा, गढ़ रोड, मेरठ मो००१०० ०९३५८२१४३४३ (2) 381, वैस्ट्रन कचहरी रोड, मेरठ (3) शील पैलेस दिल्ली रोड मेरठ (4) 6, रोयल प्लाजा, रुडकी रोड, पल्लवपुरम, मेरठ (5) जी०एफ० ३०८ एण्ड 'एच' नई दिल्ली-11, ११०सी०एम० बिल्डिंग बारहा खन्ना रोड, नई दिल्ली-110001 (6) डी-118, सेक्टर 26, नोएडा (7) आर०डी०सी० सेन्टर, राजनगर, गाजियाबाद-201002 व मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बुलन्द शहर, हायुड, मोदीनगर, मुरादाबाद, लखनऊ, बागपत, शामली व बड़ौत की अधिकृत शाखाओं से विक्रय की जायेगी जिनके सम्बन्ध में शाखा प्रबन्धक, मेरठ श्री भूमेश कुमार, मो००१०० ०९३५८२१४३४३ से जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तथा आवेदन पत्र पंजीकरण धनराशि सहित उपरोक्त बैंक की उपरोक्त शाखाओं में जमा किये जायें।

एयरपोर्ट एन्कलेव व रक्षाप्रीन योजना की विवरण	गंगानगर योजना एवं डा० सम मनोहर नगर योजना की दुर्बल/अल्प आय वर्ग सम्पत्तियों के पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका आवेदन पत्र सहित उपरोक्त बैंक की शाखाओं से रूपये 200/- के भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है।
---	--

प्राधिकरण की वेबसाइट (www.mdameerut.org.in) पर उपरोक्त योजनाओं की विवरण पुस्तिकार्ये उपलब्ध है। उपरोक्त में लाने पर उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट अलग से पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ विज्ञापित बैंक में जमा करना होगा।

2. योजना से सम्बंधित अन्य विवरण/जानकारी मुख्य अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण से (दूम्बाष सं० ०१२१२६४८५९८) किसी भी कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है। 3. सम्पत्तियों के पंजीकरण उपरान्त लाटरी ड्रा के सम्बन्ध में विज्ञापन पृष्ठक से जारी किया जायेगा।

योजनाधिकारी।

- सुनियोजित विकास प्राधिकरण के साथ -

उपाध्यक्ष।